3,691 संरक्षित स्मारक हैं देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) के तहत। इनमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 754 और कर्नाटक में 506 स्मारक शामिल हैं।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
सोमवार 16 मार्च 2020

हिमाचल प्रदेश

जल्द हो शिक्षकों की नियुक्तियां

राष्ट्र की उन्नति के लिए शिक्षित समाज अहम है। शिक्षित समाज की परिकल्पना को साकार करने में शिक्षक जरूरी हैं। पर्याप्त शिक्षक होने पर ही स्तरीय शिक्षा की उम्मीद भी की जा सकती है। यदि शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के पद रिक्त होंगे तो बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाएगी। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी कई शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के सैकड़ों पद रिक्त हैं। सरकार के पास भी शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्योरा है, लेकिन सभी रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू नहीं की जाती है।

कुछ वर्ष पहले स्कूलों में स्कूल प्रबंधन समितियों (एसएमसी) के माध्यम से कुछ समय के लिए शिक्षक भर्ती किए गए थे, लेकिन अब उनकी सेवाएं जारी रखी जानी हैं या नहीं इस पर भी फैसला नहीं हो पाया है। उधर सरकार ने शिक्षकों के पद भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन इसमें भी कई तरह की अड़चनें आ रही हैं। पिछले दिनों हिंदी विषय के प्रवक्ताओं के लिए परीक्षा हुई थी, लेकिन बाद में कुछ कमियों के कारण परीक्षा को रद कर दिया गया। इसके लिए अभी तक आगामी तारीख तय नहीं की गई है। अन्य परीक्षाओं पर भी सवाल उठते रहे हैं। कई स्कूलों में प्रधानाचार्यों और मुख्याध्यापकों के पद खाली हैं। यह पद पदोन्नति से भरे जाने हैं, लेकिन शिक्षा विभाग एक साल से पदोन्नति सूची ही जारी नहीं कर पा रहा है। इस वजह से स्कूलों में बिना प्रमुखों के काम चलाया जा रहा है। सूची जारी न होने के कारण पदोन्नत होने वाले शिक्षकों में भी रोष है। ऐसे शिक्षक अपनी तरफ से बेहतर कार्य कर रहे हैं, लेकिन जब उन्हें हक नहीं मिल रहा हो तो दिल में बोझ रहता है। शिक्षण संस्थानों में भी व्यवस्थाएं सुचारू करने के लिए नियमित मुखिया होने जरूरी होते हैं, लेकिन जब मुखिया ही नहीं होगा तो व्यवस्थाएं सुचारू होने पर भी संदेह रहता है। सरकार व शिक्षा विभाग को शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए जल्द कदम उठाने चाहिए। इसके अलावा एक साल से लंबित मुख्य अध्यापकों व प्रिंसिपल पद की पदोन्नति सूची भी जल्द जारी कर पात्रों की नियुक्ति करनी चाहिए। यदि किसी तरह का विवाद है तो उसे प्राथमिकता पर हल किया जाना चाहिए। शिक्षा जैसे क्षेत्र को गंभीरता से देखा जाना चाहिए।

बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के दावे तभी पूरे हो सकते हैं, जब स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर होगी। सरकारों को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए

इसमें कोई दोराय नहीं कि शिक्षा ही सभी समस्याओं का समाधान है। ऐसे में बच्चों को सही शिक्षा देने वाले शिक्षकों का पर्याप्त संख्या में होना आवश्यक है। छात्र-शिक्षक अनुपात का शिक्षा की गुणवत्ता पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। सभी सरकारों को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

उत्तराखंड

कोरोना पर सतर्कता की दरकार

उत्तराखंड में भी कोरोना वायरस का एक मामला प्रकाश में आ गया है। यह बेहद गंभीर विषय है। एहतियातन प्रदेश सरकार ने कोरोना को महामारी घोषित कर दिया है। सरकार द्वारा इसकी रोकथाम के लिए सभी जरूरी कदम उठाए गए हैं। अब सरकार के साथ ही आमजन को भी इस मामले को बेहद गंभीरता से लेना चाहिए। उन्हें इसके प्रति सावधानी बरतनी चाहिए। इसकी रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार के साथ ही आमजन को भी बेहद सतर्कता के साथ रहते हुए जागरूक होने की भी जरूरत है।

प्रदेश में अभी तक कोरोना का कोई मामला सामने नहीं आया था, बावजूद इसके पड़ोसी राज्यों में बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने इसे महामारी घोषित करते हुए स्कूलों को भी 31 मार्च तक बंद कर दिया है। सरकारी कार्यक्रमों, प्रशिक्षण कार्यक्रम व पब्लिक गैदरिंग से पहले सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है। स्वास्थ्य सचिव को असीमित अधिकार देने के लिए उत्तराखंड महामारी विनियम लागू किया गया है। इसके अंतर्गत सचिव स्वास्थ्य को असीमित अधिकार दिए गए हैं। जरूरत पड़ने पर निजी अस्पतालों व निजी भवनों में आइसोलेशन वार्ड आदि

कोरोना वायरस से निबटने के लिए प्रशासनिक इंतजाम के साथ ही जनजागरूकता बेहद जरूरी है। इसके लिए अभियान चलाने की जरूरत है

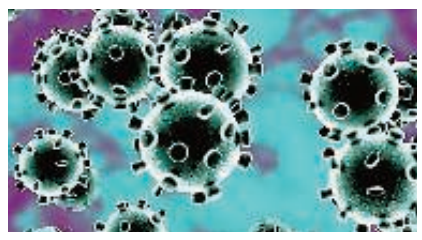

प्रतीकात्मक फोटो

बनाने की व्यवस्था भी की गई है। कोरोना वायरस से संक्रमित होने की आशंका के चलते किसी का भी परीक्षण किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर सरकार पीड़ित की इच्छा के विपरीत उसे अस्पताल में भर्ती भी करा सकती है। निजी लैबों को बिना अनुमति कोरोना के सैंपल टेस्ट करने पर भी रोक लगाई गई है। यानी एक तरह से सरकार ने इस पर रोकथाम के लिए प्रशासनिक स्तर पर अपनी ओर से हर संभव प्रयास किया है। अब इसमें जनजागरूकता की जरूरत कहीं अधिक महसूस की जा रही है। कारण यह कि अभी भी कोरोना को लेकर आमजन में जागरूकता का अभाव देखा जा रहा है। सोशल मीडिया में कई तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। इससे आमजन के मन में इसे लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है। सरकार ने सोशल मीडिया पर रोक लगाने की व्यवस्था तो की है, लेकिन अभी तक इसका बहुत अधिक प्रचार प्रसार नहीं हो पाया है। अब जबकि कोरोना का एक मामला सामने आया है तो इसे देखते हुए अब इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

सरकार को चाहिए कि कोरोना वायरस के दुष्प्रभाव व इसकी रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए वृहद स्तर पर अभियान चलाए। इसके लिए ग्राम स्तर तक पहुंचने की जरूरत है। लोगों तक यह संदेश पहुंचाना बेहद जरूरी है कि वायरस से डरें नहीं। साफ-सफाई, सतर्कता और जागरूकता से भी इस वायरस से बचा जा सकता है।

झारखंड

जागरूकता के साथ संवेदनशीलता भी जरूरी

कोरोना को लेकर पूरे देश में संवेदनशीलता बरती जा रही है। केंद्र और राज्य सरकारें हर स्तर से प्रयास कर रही हैं और इससे बचने के लिए निर्णय भी लिए जा रहे हैं। झारखंड में भी सरकार के स्तर से सतर्कता की बातें सामने तो आई हैं, पर अब संवेदनशील होने की भी जरूरत है। प्रदेश में मुख्य सचिव ने सभी विभागों को सतर्कतापूर्वक कार्रवाई करने का आदेश दिया है और यह भी कहा है कि ऐसी कोई कार्रवाई न की जाए जिससे लोगों के मन में इस बीमारी को लेकर हौवा की स्थिति पैदा हो। लोगों तक सही सूचना पहुंचाने के लिए सभी उपायुक्तों को निर्देश दे दिया गया है। अब इन पर कौन कितना अमल कर रहा है, यह भी देखने की बात होगी।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी स्वयं इस मामले में सतर्कता बरतने की बात कही है और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कुछ मामलों में संवेदनशीलता की कमी दिख रही है। खासकर बच्चों के मामले में सरकार को गंभीर होना होगा। सरकार के स्तर से स्कूल, कॉलेजों, शिक्षण

सरकार के स्तर से स्कूल, कॉलेजों, शिक्षण संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्रों को लेकर खास दिशानिर्देश जारी होने चाहिए ताकि एहतियात बढ़े

प्रतीकात्मक फोटो

संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्रों को लेकर कोई खास गाइडलाइन नहीं जारी किया जाना इस बात का संकेत दे रहा है कि सतर्कता के बावजूद संवेदनशीलता की कमी है। देश के अन्य तमाम राज्यों में उन स्थलों को फिलहाल बंद रखने को कहा गया है जहां बच्चों और युवाओं की भीड़ जुटती है। इतना ही नहीं, बच्चों के अस्पतालों और सामान्य अस्पतालों में बच्चों के वार्ड को पूरी तरह से आइसोलेशन में रखने का वक्त आ गया है, लेकिन इसकी पहल अभी तक होती नहीं दिखी है। राज्य में पिकनिक स्पॉट, सिनेमा हॉल और रेस्तरां को लेकर भी गाइडलाइन जारी करने की तत्काल आवश्यकता है। इन स्थलों को बंद करने अथवा तात्कालिक तौर पर स्थगित करने का निर्णय लिया जा सकता है। स्वच्छता को लेकर सतर्कता भी आवश्यक है। हाजिरी की व्यवस्था तो बदल दी गई है, लेकिन लिफ्ट पर चढ़ने-उतरने के लिए बिना दस्ताने के लोग हाथों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे तमाम स्थलों को स्वच्छ रखने के लिए कारगर उपाय करने का वक्त आ गया है।

एक बार संक्रमण फैलना शुरू हुआ तो आगे रोकना मुश्किल होगा। जो भी हो, सतर्कता से दो कदम आगे बढ़कर संवेदनशीलता के साथ इस आपदा से निपटने का वक्त आ गया है।

जम्मू-कश्मीर

खतरे से खाली नहीं हाईवे पर चलना

जम्मू-कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित रामबन जिले के डिगडोल, बैटरी चश्मा और पंतिहाल इलाके में भूस्खलन के कारण सड़क पर मलबा और पत्थर गिरने से हाईवे के दोनों ओर सैकड़ों वाहनों के फंस कर रह जाना गंभीर चिंता का विषय है। श्रीनगर और जम्मू के मुख्य बस स्टैंड में यात्रियों के फंस कर रह जाने से उनकी समस्याएं बढ़ना स्वभाविक है। विडंबना यह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग जर्जर हालत में है और मार्च माह में बेमौसम की बारिश के कारण पिछले चार दिनों से हाईवे यातायात के लिए बंद हैं। इससे पहले बरसात के मौसम में कई बार तो हाईवे लगातार 15 दिनों तक बंद रहा है।

कुछ ही दिनों में देशभर से सैलानी कश्मीर घाटी की वादियों के सैर के लिए पहुंचना शुरू हो जाएंगे। अगर हाईवे का यही हाल रहा तो पर्यटकों की आमद पर इसका असर पड़ सकता है। पर्यटन राज्य की आमदनी का एक बड़ा जरिया है। इसके प्रभावित होने लोगों की कमाई प्रभावित हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों में मौसम चक्र पर नजर डालें तो इस बार जम्मू-कश्मीर में बारिश पिछले कुछ सालों के मुकाबले सामान्य से अधिक हुई है। हाईवे पर डिगडोल में पिछले कई दिनों से मलबा गिरने का सिलसिला जारी है। जम्मू-कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए हर समय खुला रखने के लिए यह जरूरी भी है। ऐतिहासिक मुगल रोड कश्मीर घाटी को जम्मू से जोड़ता है, लेकिन यह सुरक्षा दृष्टि से यातायात के लिए सही नही है, क्योंकि यह रास्ता आतंकवादग्रस्त दक्षिण कश्मीर से होकर गुजरता है।

राष्ट्रीय राजमार्ग जर्जर हालत में है और मार्च माह में बेमौसम की बारिश के कारण पिछले चार दिनों से हाईवे यातायात के लिए बंद हैं

दरकते पहाड़ों को देखते हुए यकीन नहीं होता कि कब सैलानी रास्ते में फंस जाएं। सरकार को चाहिए कि हाईवे को फोर लेन बनाने के काम को शीघ्र पूरा किया जाए। यह अच्छी बात है कि यह काम जम्मू से करीब सौ किलोमीटर तक पूरा कर लिया गया है। केवल नाशरी से बनिहाल के बीच सौ किलोमीटर तक हाईवे का निर्माण कार्य पूरा करना है। अगर यह काम जल्द पूरा हो जाता है तो सैलानी बेहिचक कश्मीर की वादियों में आ सकेंगे। आने वाले कुछ वर्ष में कश्मीर घाटी रेलमार्ग से भी जुड़ जाएगी। इससे कश्मीर आने वाले सैलानी बारह महीने कश्मीर की वादियों में आ जा सकेंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी को भी चाहिए कि सड़क को फोर लेन बनाने में तेजी लाए, क्योंकि यह हाईवे समूचे देश को घाटी से जोड़ता है। जब सड़कें अच्छी होंगी तो बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही होगी। यह प्रदेश और दोनों के लिए सही है। इससे दुर्घटनाएं भी कम होंगी।

स्मारकों के पास निर्माण नीति की समीक्षा करेगा केंद्र

संरक्षित स्मारकों का फिर से होगा वर्गीकरण, महत्व के अनुरूप तय होगी निर्माण पर रोक की परिधि

प्रह्लाद पटेल। फाइल

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार ने संरक्षित स्मारकों का उनकी ऐतिहासिकता के आधार पर फिर से वर्गीकरण का फैसला किया है। इसके लिए इन स्मारकों के आसपास निर्माण का नियमन करने वाली नीति की समीक्षा की जाएगी। संस्कृति मंत्री प्रह्लाद पटेल ने खास बातचीत में बताया, 'हम सभी स्मारकों का उनके ऐतिहासिक महत्व के आधार पर दोबारा वर्गीकरण करने की योजना बना रहे हैं और संबंधित अधिकारियों से कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया है।'

पटेल ने कहा कि ताजमहल के आसपास 500 मीटर की परिधि में कोई निर्माण नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी कब्रगाह या समाधि पर ऐसा ही नियम नहीं लागू होना चाहिए। उन्होंने कहा, 'इसका कोई तर्क नहीं कि किसी मजार या समाधि के 300 मीटर के दायरे में कोई निर्माण क्यों नहीं होना चाहिए। हम इसमें संशोधन की तैयारी कर रहे हैं। सूरत के मामले को उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है, जहां स्मार्ट सिटी परियोजना के बीच में ब्रिटिश कब्रिस्तान आ रहा है।' इस तरह सरकार ने अपना यह रुख साफ कर दिया है कि स्मारकों के आसपास निर्माण की नीति बदलेगी।

मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 'देश के ज्यादातर धरोहरों और स्मारकों का वर्गीकरण ब्रिटिशकाल में ही किया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) के तहत फिलहाल 3,691 संरक्षित स्मारक घोषित हैं। इनमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 754 और कर्नाटक में 506 स्मारक शामिल हैं। कानून में संशोधन के लिए केंद्र सरकार जल्द ही कैबिनेट नोट ला सकती है।

प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल तथा अवशेष अधिनियम-1958 के अनुसार, संरक्षित स्मारकों के आसपास 100 मीटर के दायरे में निर्माण पर रोक है, जबकि 100-200 मीटर के दायरे में निर्माण किया जा सकता है। बीते वर्षों में इस कानून ने प्रतिबंधित क्षेत्रों के आसपास विकास कार्य को काफी बाधित किया है। सरकार ने ऐसी बाधाओं को दूर करने के लिए संसद के पिछले सत्र में नीति में संशोधन लाने का निर्णय लिया था। संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित हो गया था, लेकिन राज्यसभा ने उसे एक समिति के पास भेज दिया था।

यमुनानगर में स्थापित हुआ अशोक चक्र लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज

जागरण संवाददाता, यमुनानगर

14वीं सदी में फिरोजशाह तुगलक हरियाणा के यमुनानगर जिले के गांव टोपरा कलां से अशोक स्तंभ उखाड़ ले गए थे। दो भाई सिद्धार्थ व डॉ. सत्यदीप नील गौरी के प्रयासों से अब यहां देश का सबसे बड़ा अशोक चक्र स्थापित हो गया। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने 2020 में भारत का सबसे बड़ा धर्म चक्र होने का प्रमाण पत्र दिया है। लंबे समय से इसके लिए प्रयास हो रहे थे। सम्राट अशोक ने करीब 2500 साल पहले अशोक चक्र व स्तंभ स्थापित किया था। अब यह चक्र हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है।

10 साल से हो रहे थे प्रयास: बुद्धिस्ट फोरम के अध्यक्ष डॉ. सत्यदीप नील गौरी व महासचिव सिद्धार्थ गौरी बताते हैं कि 10 साल से यहां पर अशोक चक्र स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे थे। इसके लिए दिल्ली चंडीगढ़ के बीच काफी दौड़ लगानी पड़ी। तब टोपरा कलां के सरपंच के सहयोग से गत वर्ष यहां पर 30 फीट ऊंचा और 24 तीलियों वाला यह चक्र स्थापित किया गया। अशोक चक्र नॉन आर्मेचर संरचना है। छह टन भारी सुनहरे रंग के चक्र को तैयार करने में 240 दिन लगे। राज्यसभा सदस्य सुभाष चंद्रा व पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन ने इसका उद्घाटन किया था।

शिकार के लिए आया था तुगलक ले गया स्तंभ: डॉक्टर गौरी बताते हैं कि 1453 में फिरोजशाह तुगलक टोपरा कलां में शिकार के लिए आया था। तब उसकी नजर इस स्तंभ पर पड़ी। पहले इसको तोड़ना चाहता था, लेकिन बाद में इसे अपने साथ दिल्ली ले जाने का मन बनाया और अपने महल पर लगवाया। इस बात का वर्णन इतिहासकार श्यामे सिराज ने तारीख-ए-फिरोजशाही में किया है। यमुना के रास्ते इस स्तंभ को दिल्ली ले जाने के लिए बड़ी नाव तैयार की गई।

स्तंभ पर कोई खरोंच न पड़े, इसलिए उसे रेशम व रुई में लपेटा गया था। यमुना नदी तक इसे ले जाने के लिए 42 पहियों की गाड़ी तैयार की गई थी, जिसे आठ हजार लोगों ने खींचा था।

यमुनानगर के टोपरा कलां गांव में देश का सबसे बड़ा धर्म चक्र (अशोक चक्र)। अनिल वर्मा

टोपरा कलां से दिल्ली लाया गया था स्तंभ

18वीं शताब्दी में सबसे पहले एलेग्जेंडर कनिंघम ने साबित किया था कि यह स्तंभ टोपरा कलां से दिल्ली लाया गया है। उसके सहकर्मी जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार ब्रह्मी लिपी में लिखे संदेश को पढ़ा था। भगवान बुद्ध के आने के बाद सम्राट अशोक ने टोपरा कलां गांव में स्तंभ स्थापित किया था।

सम्राट अशोक ने गुजरात की गिरनार की पहाड़ियों में स्तंभ को बनवाया था। इसकी लंबाई 42 फीट व चौड़ाई 2.5 फीट है। इस स्तंभ पर प्राचीन ब्रह्मी लिपी और प्राकृत भाषा में सात राजाज्ञाएं खुदी हुई हैं। देश का यह एकमात्र स्तंभ है, जिस पर सात राजाज्ञाएं अंकित हैं।

इनका भी रहा सहयोग

कमल इंजीनियरिंग से अनिल कुमार ने विशाल चक्र में डिजाइनिंग और निर्माण में मुख्य भूमिका निभाई। पदम भूषण अवार्डी दर्शन लाल जैन ने कहा कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में से आसपास के गांवों में सांस्कृतिक और ऐतिहासिक मूल्य बढ़ेंगे। यह एक शुरुआत है।

दावा याचिका के साथ लगेगी 25 रुपये की स्टांप फीस

प्रथम पृष्ठ से आगे

मुआवजे के लिए दाखिल किये जाने वाले आवेदन-दावा याचिका के साथ न्यायालय की फीस स्टांप के रूप में 25 रुपये होगी। मुआवजे से भिन्न सभी आवेदन 50 रुपये के न्यायालयीय फीस स्टांप के साथ स्टांपित होंगे। समन किये गए प्रत्येक साक्षी या पक्षकार के लिए 100 रुपये की प्रक्रिया फीस स्टांप के रूप में होगी। दावा याचिका में संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले या इसके लिए उकसाने वाले, पुलिस की रिपोर्ट में नामित लोग, विरोध प्रदर्शन को प्रायोजित करने वालों को प्रतिवादियों के तौर पर शामिल किया जा सकता है।

एकपक्षीय कार्यवाही भी : अधिकरण प्रतिवादियों को आवेदन की प्रति के साथ आवेदन पर सुनवाई करने की तारीख के बाबत नोटिस भेजेगा। प्रतिवादी को पहली सुनवाई या उससे पहले या नोटिस तामील किये जाने की तारीख से 30 दिनों तक दावा की गईं क्षतियों के बारे में लिखित विवरण देना होगा। यदि प्रतिवादी उपस्थित नहीं हुआ तो अधिकरण उसके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही करेगा। पक्षकार के आवेदन या अन्य वाजिब कारणों से अधिकरण समय-समय पर सुनवाई स्थगित कर सकता है। किसी भी स्थिति में एक पक्षकार को तीन महीने से ज्यादा का स्थगन नहीं दिया जाएगा।

भू-राजस्व के बकाये की तरह होगी वसूली : दावा अधिकरण ऐसे प्रतिवादी की संपत्ति को कुर्क कर लेगा। साथ ही, प्राधिकारियों को निर्देश देगा कि वह प्रतिवादी की संपत्ति नहीं खरीदने के बारे में सार्वजनिक रूप से बड़े पैमाने पर चेतावनी जारी करें और इसके साथ उसका नाम, पता व फोटोग्राफ प्रकाशित करें। अधिकरण क्षतिपूर्ति की धनराशि के लिए कलेक्टर को प्रमाणपत्र जारी कर सकता है। कलेक्टर उसकी वसूली भू-राजस्व के बकाये की तरह करेगा। अधिकरण अनुकरणीय क्षति के तौर पर मुआवजे की दोगुनी धनराशि भी वसूलने का आदेश दे सकता है।

दावा आयुक्त और सर्वेयर की तैनाती का अधिकार : अधिकरण जांच और नुकसान के आकलन के लिए दावा आयुक्त की तैनाती कर सकता है। दावा आयुक्त अपर जिला मजिस्ट्रेट स्तर से निचले स्तर का अधिकारी नहीं होगा। अधिकरण दावा आयुक्त की मदद के लिए प्रत्येक जिले में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त पैनल से एक-एक सर्वेयर भी नियुक्त कर सकता है, जो नुकसान के आकलन में तकनीकी विशेषज्ञ की भूमिका निभाएगा। दावा आयुक्त तीन महीने या बढ़ाई गई अवधि के भीतर अधिकरण को रिपोर्ट सौंपेगा। अधिकरण पक्षकारों की सुनवाई के बाद दायित्व तय करेगा।

जहां दो सदस्य, वहां रिटायर्ड जिला जज होगा अध्यक्ष : दावा अधिकरण में सदस्यों की संख्या राज्य सरकार जैसा उचित समझे, उतनी होगी। जहां दो या दो से अधिक सदस्य हों, वहां उनमें एक सदस्य की नियुक्ति अध्यक्ष के रूप में की जाएगी। अधिकरण का अध्यक्ष रिटायर्ड जिला जज और सदस्य अपर आयुक्त स्तर का अधिकारी होगा।

छलके आंसू

शहीद पिता के अंतिम संस्कार में चार साल का बेटा गाने लगा 'गोल-गोल रानी...', शहीद के छोटे बेटे ने गार्ड ऑफ ऑनर को समझा खेल, बस्तर में तैनात जवानों पर नक्सलियों ने किया था हमला

...जब मासूम के गीत ने सबको रुला दिया

अनिल मिश्रा, जगदलपुर

आमतौर पर 'गोल-गोल रानी, इत्ता-इत्ता पानी...' जैसे बाल गीत हमें गुदगुदाते हैं और कहीं न कहीं बचपन की स्मृतियों में ले जाते हैं। लेकिन रविवार को एक मासूम के मुंह से जैसे ही यह गीत सुना, वहां मौजूद सैकड़ों लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। यह मर्मस्पर्शी दृश्य छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल (सीएएफ) के जवान उपेंद्र साहू की अंत्येष्टि के समय नजर आया।

बस्तर में शनिवार को नक्सलियों के हमले में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के दो जवान शहीद हो गए थे। इनमें से एक उपेंद्र साहू का अंतिम संस्कार रविवार को हुआ। शहीद के शव को घर के बाहर नदी के तट पर लाया गया। इस दौरान शहीद उपेंद्र का चार साल का बेटा लकी भी मौजूद था। वहीं, लकी का बड़ा भाई अनिरुद्ध शहीद पिता को मुखाग्नि देने की तैयारी कर रहा था। शहीद जवान के पार्थिव शरीर को साथी जवान कांधा देकर इंद्रावती के नए पुल के नीचे नदी के तट पर लाए। इसके बाद शहीद के पार्थिव शरीर की पुष्पचक्र परिक्रमा का आयोजन किया गया और एक बार फिर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाने लगा। इस दौरान शहीद के मासूम बेटे लकी को लगा कि कोई खेल चल रहा है। रिश्तेदार की गोद में वह बाल गीत... 'गोल-गोल रानी, इत्ता-इत्ता पानी'... गाने लगा। मासूम को यह गीत गाते देख जो भी लोग शहीद पर गर्व करते हुए अब तक अपने आंसू रोके हुए थे उनकी आंखें भी छलक आईं।

जगदलपुर में रविवार को शहीद उपेन्द्र साहू की अंत्येष्टि के दौरान रिश्तेदार की गोद में मासूम लकी। नईदुनिया

रिश्तेदार से पूछा पापा को कहां लगी है : बच्चों के एक खेल में 'गोल-गोल रानी, इत्ता-इत्ता पानी। पानी में फिसली मछली, पापा ने पकड़ी। मम्मा ने बनाई, हमने खाई, बड़ा मजा आया'...गीत गाया जाता है। गीत की दो लाइन गाने के बाद बच्चे ने अपने एक रिश्तेदार से पूछा कि पापा को कहां लगी है... क्या यहां (चेहरा छूकर)... या नाक में। मासूम की इन बातों ने मौके पर मौजूद लोगों को आंसुओं में डिबो दिया।

नक्सली हमले में शहीद हुए थे दो जवान : दंतेवाड़ा जिले को नारायणपुर से जोड़ने वाली पल्ली-बारसूर सड़क का निर्माण चल रहा है। इसकी सुरक्षा के लिए वहां रोज रोड ओपनिंग पार्टी तैनात की जाती है। सड़क की सुरक्षा के लिए ही मालेवाही और बोदली में फोर्स के कैंप खोले गए हैं। वहां सीएएफ की 22वीं बटालियन और सीआरपीएफ की 195 बटालियन तैनात हैं। शनिवार दोपहर दो बजे सीआरपीएफ और सीएएफ की संयुक्त टुकड़ी गश्त पर निकली थी। पुसपाल के आगे घोटियामोड़ के पास जैसे ही यह टुकड़ी पहुंची, नक्सलियों ने पहले आइईडी ब्लास्ट किया और फिर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। ब्लास्ट की चपेट में आकर सीएएफ के जवान जगदलपुर निवासी उपेंद्र साहू और मध्य प्रदेश के सतना निवासी देवेंद्र सिंह शहीद हो गए।

तीजन बाई को मिला लोक निर्मला सम्मान

जागरण संवाददाता, लखनऊ

विश्व विख्यात पंडवानी गायिका ने सुनाया दु:शासन अंत का लोकप्रिय प्रसंग

संगीत नाटक अकादमी के मुक्ताकाशी मंच पर आयोजित हुआ समारोह

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रविवार को संगीत नाटक अकादमी के मुक्ताकाशी मंच पर छत्तीसगढ़ की पंडवानी गायिका तीजन बाई को लोक निर्मला सम्मान से अलंकृत करती (बाएं से) सांसद रीता बहुगुणा जोशी, मंत्री नीलकंठ तिवारी लोक गायिका मालिनी अवस्थी और डॉ. पूर्णिमा पांडे। जागरण

विश्व विख्यात पंडवानी गायिका तीजनबाई को एक लाख रुपये का लोक निर्मला सम्मान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया। मुख्य सांस्कृतिक समारोह संगीत नाटक अकादमी के मुक्ताकाशी मंच पर हुआ। लोक संस्कृति को समर्पित संस्था सोनचिरैया की सचिव और उप शास्त्रीय गायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी ने मां निर्मला देवी की स्मृति में उनकी जयंती पर यह परंपरा शुरू की है।

उन्होंने बताया कि अगले साल से युवाओं को लोक कला के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। सांस्कृतिक संध्या में संस्कृति एवं पर्यटन विकास मंत्री नीलकंठ तिवारी, सांसद रीता बहुगुणा जोशी, प्रमुख सचिव गृह विभाग अवनीश अवस्थी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।

तीजन बाई की जुबानी दु:शासन अंत की कहानी : तीजन बाई ने पंडवानी गायन के तहत दु:शासन अंत का लोकप्रिय प्रसंग सुनाया। यह प्रसंग नारी सम्मान, प्रतिशोध और वीरता की त्रिवेणी पेश करने वाला रहा। माथे पर टीका, कमर पर कमर पेटी, बांह में बाजूबंद पहने तीजनबाई के हाथ में मोरपंख लगे रंगीन फंदनों वाला तंबूरा कभी गदा तो कभी रथ बना। रागियों के द्वारा बोले गए फिर, अच्छा, अरे, जैसे संवादों ने प्रस्तुति का आकर्षण बढ़ाया।